इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 452]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 14 नवम्बर 2019—कार्तिक 23, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक ७ नवम्बर २०१९

क्र. एफ बी-04-03-2018-2-पांच (21).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि विरिष्ठ मण्डल प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, ग्वालियर द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जारी की गई बीमा पॉलिसियों पर, उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क समेकित किया जा सकेगा तथा उसका भुगतान मध्यप्रदेश के किसी भी शासकीय कोषालय में निम्नलिखित शर्तों पर किया जा सकेगा:—

- (1) ऐसी प्रत्येक बीमा पॉलिसी पर पृष्ठांकन द्वारा यह उपदर्शित किया जाएगा कि उस पर देय स्टाम्प शुल्क का भुगतान उपर्युक्त रीति से कर दिया गया है. ऐसा पृष्ठांकन केवल इस आदेश के अधीन भुगतान की गई समेकित स्टाम्प शुल्क की रकम की सीमा तक किया जा सकेगा.
- (2) चार तिमाही के लिए समेकित रकम रुपए 1,25,00,000/- (एक करोड़, पच्चीस लाख रुपए मात्र) के मध्यप्रदेश के किसी शासकीय कोषालय में भुगतान के चालान की एक प्रति आंचलिक उप-महानिरीक्षक पंजीयन, ग्वालियर कार्यालय में प्रस्तुत की जाएगी.
- (3) उस अवधि के, जिसके लिए शुल्क का समेकन किया गया है, समाप्त होने के तत्काल पश्चात्, बीमित राशि के पॉलिसी क्रमांक तथा प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ तिमाही के अन्त में पॉलिसियों पर भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क की सही रकम से मिलकर बनने वाली विवरणी आंचिलक उप-महानिरीक्षक, पंजीयन, ग्वालियर के कार्यालय को प्रस्तुत की जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2019

क्र. एफ बी-04-03-2018-2-पांच (21).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ बी-04-03-2018-2-पांच (21), दिनांक 7 नवम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 7th November 2019

No. B-4-03-2018-2-V-(21).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899), the State Government, hereby, directs that the Stamp duty chargeable under the said Act on insurance policies issued by the Senior Divisional Manager, Life Insurance Corporation of India, Gwalior During the financial year 2019-20 may be consolidated and paid into any Government Treasury in Madhya Pradesh on the following conditions:—

- (1) It shall be indicated by endorsement on each policy of insurance that the stamp duty payable thereon has been paid in the aforesaid manner. Such endorsement would be made only to the extent of consolidated stamp duty amount paid under this order.
- (2) A copy of the challan of payment of consolidated amount of Rs. 1, 25, 00, 000/- (Rupees One Crore Twenty Five Lakhs only) in any Government Treasury of Madhya Pradesh for Four quarter shall be submitted in the office of Zonal Deputy Inspector General of Registration, Gwalior.
- (3) Immediately after the end of the period for which consolidation of duty has been made, the statement consisting of the policy numbers of sum insured and the exact amount of Stamp duty paid on the policies at the end of First, Second, Third and Fourth quarter shall be submitted to the office of Zonal Deputy Inspector General of Registration, Gwalior.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक ७ नवम्बर २०१९

क्र. एफ बी-04-06-2017-2-पांच (20).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि विरिष्ठ मण्डल प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, जबलपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जारी की गई बीमा पॉलिसियों पर, उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क समेकित किया जा सकेगा तथा उसका भुगतान मध्यप्रदेश के किसी भी शासकीय कोषालय में निम्नलिखित शर्तों पर किया जा सकेगा:—

- (1) ऐसी प्रत्येक बीमा पॉलिसी पर पृष्ठांकन द्वारा यह उपदर्शित किया जाएगा कि उस पर देय स्टाम्प शुल्क का भुगतान उपर्युक्त रीति से कर दिया गया है. ऐसा पृष्ठांकन केवल इस आदेश के अधीन भुगतान की गई समेकित स्टाम्प शुल्क की रकम की सीमा तक किया जा सकेगा.
- (2) चार तिमाही के लिए समेकित रकम रुपए 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपए मात्र) के मध्यप्रदेश के किसी शासकीय कोषालय में भुगतान के चालान की एक प्रति आंचलिक उप-महानिरीक्षक, पंजीयन, जबलपुर कार्यालय में प्रस्तुत की जाएगी.
- (3) उस अवधि के, जिसके लिए शुल्क का समेकन किया गया है, समाप्त होने के तत्काल पश्चात्, बीमित राशि के पॉलिसी क्रमांक तथा प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ तिमाही के अन्त में पॉलिसियों पर भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क की सही रकम से मिलकर बनने वाली विवरणी आंचिलक उप-महानिरीक्षक, पंजीयन, जबलपुर के कार्यालय को प्रस्तुत की जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक ७ नवम्बर २०११

क्र. एफ बी-04-06-2017-2-पांच (20).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-04-06-2017-2-पांच (20), दिनांक 7 नवम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदृद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 7th November 2019

No. B-4-06-2017-2-V-(20).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899), the State Government, hereby, directs that the Stamp duty chargeable under the said Act on insurance policies issued by the Senior Divisional Manager, Life Insurance Corporation of India, Jabalpur During the financial year 2019-20 may be consolidated and paid into any Government Treasury in Madhya Pradesh on the following conditions:—

- (1) It shall be indicated by endorsement on each policy of insurance that the stamp duty payable thereon has been paid in the aforesaid manner. Such endorsement would be made only to the extent of consolidated stamp duty amount paid under this order.
- (2) A copy of the challan of payment of consolidation amount of Rs. 1, 00, 00, 000/- (Rupees One Crore only) in any Government Treasury of Madhya Pradesh for Four quarter shall be submitted in the office of Zonal Deputy Inspector General of Registration, Jabalpur.
- (3) Immediately after the end of the period for which consolidation of duty has been made, the statement consisting of the policy numbers of sum insured and the exact amount of Stamp duty paid on the policies at the end of First, Second, Third and Fourth quarter shall be submitted to the office of Zonal Deputy Inspector General of Registration, Jabalpur.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2019

क्रमांक-एफ बी-04-09-2018-2-पांच (19).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निदेश देती है कि विरिष्ठ मण्डल प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, शहडोल द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जारी की गई बीमा पॉलिसियों पर, उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क समेकित किया जा सकेगा तथा उसका भुगतान मध्यप्रदेश के किसी भी शासकीय कोषालय में निम्नलिखित शर्तों पर किया जा सकेगा:—

- (1) ऐसी प्रत्येक बीमा पॉलिसी पर पृष्ठांकन द्वारा यह उपदर्शित किया जाएगा कि उस पर देय स्टाम्प शुल्क का भुगतान उपर्युक्त रीति से कर दिया गया है. ऐसा पृष्ठांकन केवल इस आदेश के अधीन भुगतान की गई समेकित स्टाम्प शुल्क की रकम की सीमा तक किया जा सकेगा.
- (2) चार तिमाही के लिए समेकित रकम रुपए 60,00,000/- (साठ लाख रुपए मात्र) के मध्यप्रदेश के किसी शासकीय कोषालय में भुगतान के चालान की एक प्रति आंचलिक उप-महानिरीक्षक, पंजीयन, जबलपुर के कार्यालय में प्रस्तुत की जाएगी.
- (3) उस अविध के, जिसके लिए शुल्क का समेकन किया गया है, समाप्त होने के तत्काल पश्चात्, बीमित राशि के पॉलिसी क्रमांक तथा प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ तिमाही के अन्त में पॉलिसियों पर भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क की सही रकम से मिलकर बनने वाली विवरणी आंचिलक उप-महानिरीक्षक, पंजीयन, जबलपुर के कार्यालय को प्रस्तुत की जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2019

क्र. एफ बी-04-09-2018-2-पांच (19).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ बी-04-09-2018-2-पांच (19), दिनांक 7 नवम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदृद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 7th November 2019

No. B-4-09-2017-2-V-(19).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899), the State Government, hereby, directs that the Stamp duty chargeable under the said Act on insurance policies issued by the Senior Divisional Manager, Life Insurance Corporation of India, Shahdol During the financial year 2019-20 may be consolidated and paid into any Government Treasury in Madhya Pradesh on the following conditions:—

- (1) It shall be indicated by endorsement on each policy of insurance that the stamp duty payable thereon has been paid in the aforesaid manner. Such endorsement would be made only to the extent of consolidated stamp duty amount paid under this order.
- (2) A copy of the challan of payment of consolidation amount of Rs. 60, 00, 000/- (Rupees Sixty Lakhs only), in any Government Treasury of Madhya Pradesh for Four quarter shall be submitted in the office of Zonal Deputy Inspector General of Registration, Jabalpur.
- (3) Immediately after the end of the period for which consolidation of duty has been made, the statement consisting of policy numbers of sum insured and the exact amount of Stamp duty paid on the policies at the end of First, Second, Third and Fourth quarter shall be submitted to the office of Zonal Deputy Inspector General of Registration, Jabalpur.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.